



हरियाणा सरकार
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग
नव सचिवालय भवन हरियाणा, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ 160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 4319-व-2-2023/6371
चण्डीगढ़ दिनांक 26-09-2023

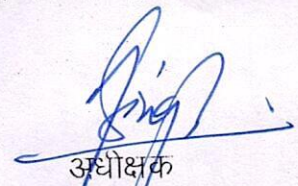
विषय:

Diversion of 1.88 ha. of forest land in favour of Project Director. NHAI, Ambala for Construction of Ambala Ring for development of four Lining from Design change k.m. 18.226 to 40.750 under various forest Strips Bharatmala Pariyojna Phase-1 (Economic Corridor), under Forest Division & District Ambala, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/ROAD/155991/2022).

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0), हरियाणा पंचकूला ने अवगत करवाया है कि मुख्य वन संरक्षक उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा NHAI PIU Ambala के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव 1.88 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 614 वृक्ष (331.18 m²) बाधक हैं जो कटवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 670 पौधे भी नष्ट होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति में पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र० सं०	विवरण	अम्बाला	मौरनी-पिंजौर	कुल राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	63482	1068768	1132250
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	531658	0	531658
3.	6 Sticks individual fencing Charge	0	167868	167868
4.	Supervisory Charges	12696	213754	226450
5.	नैट प्रेजेंट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैंड	1800626	0	1800626
6.	फैलिंग चार्जिज	397416	0	397416
	कुल	2805878	1450390	4256268

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Ratour Sec 4 & 5 Naraingarh Range पर 1500 पौधे व C-2, Tall Beat, Meerpur Block, Raipur Rani range पर 3600 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

Full Title of the Project : Diversion of 1.88 ha of forest land in favor of Project Director, NHAI, Ambala for Construction of Ambala Ring for development of four Laning from Design change K.m. 18.226 to 40.750 under various forest Strips Bharatmala Pariyojna Phase-1(Economic Corridor).Under Forest Division and District Ambala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ROAD/155991/2022

PART-V

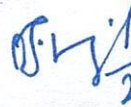
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 26-09-23

Place : Chandigarh

Signature


26/09/23

Name: **Dr. T.P Singh,**

**Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department**

Secretary to Govt. of Haryana,
Forest Department

Office Seal: